राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः प.1(1)चि.स्वा./गुप–2/2020 जयपुर, दिनांकः 13.10.2020

<u>आदेश</u>

राज्य में कोविड–19 संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 की जांच हेतु राजकीय व निजी जांच प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया गया है। कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु निजी अस्पतालो में सर्जरी/प्रसव आदि किये जाने से पूर्व मरीज की कोविड–19 जांच करवाई जा रही है। राज्य के सभी जिलों में कोविड–19 जांच हेतु अधिकृत निजी जांच प्रयोगशालाओं की संख्या के दृष्टिगत सभी निजी चिकित्सालयों से यह अपेक्षित है, कि जिन निजी चिकित्सालयों में कोविड–19 जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे अपने चिकित्सालय में सर्जरी/प्रसव आदि से पूर्व आवश्यक होने पर कोविड–19 की जांच हेतु अपने चिकित्सालय में कार्यरत लैब टैक्नीशियन के माध्यम से कोविड–19 सैम्पल संग्रहण हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सैम्पल एकत्रित कर सभी सैम्पलों को अपने जिले में स्थित राजकीय कोविड–19 जांच प्रयोगशाला को भिजवायेगें, जहां उक्त सैम्पलों की जांच निःशुल्क की जावेगी। इस हेतु निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

ऐसे सभी निजी चिकित्सालय RTPCR Portal पर Registration के लिए आवेदन करेगें एवं सैम्पल लेने का विवरण RTPCR App. पर आवश्यक रूप से रजिस्ट्रर करेगें। उक्त कार्य (Registration) में यदि किसी प्रकार का सहयोग अपेक्षित हो तो निम्नांकित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

1. डॉ. अवतार सिंह दुआ, वरिष्ठ आचार्य (PSM), SMS Medical College, Jaipur
   Mobile: 8107789255, email ID: avtarsinghdua@gmail.com
2. श्री तपन कुमार, कार्यकारी निदेशक, (IT), RSHAA व संयुक्त निदेशक (DoIT&C)
   Mobile: 9413387307, email ID: tapankk@gmail.com

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. सरकार, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. मिशन निदेशक, एन. एच. एम. राजस्थान।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. ।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त निजी चिकित्सालय।
14. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
15. निजी/कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव